झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) ..../राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभिंयत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 5 (पाँच) अदद लघु सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य लागत राशि रू॰ 440.121 लाख (रूपये चार करोड़ चालीस लाख बारह हजार एक सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 5 (पाँच) अदद लघु सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य की लागत राशि रू॰ 440.121 लाख (रूपये चार करोड़ चालीस लाख बारह हजार एक सौ) मात्र के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. प्रस्तावित योजनाओं की कुल लागत राशि रू॰ 440.121 लाख है। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 212 हे॰ खरीफ एवं लगभग 53 हे॰ रब्बी लगभग कुल 265 हे॰ सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है। इन योजनाओं का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 1,66,083/–प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर संलग्न है।
3. योजनाओं के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
4. विषयांकित योजनाएं मुख्य मंत्री जनसंवाद से आच्छादित है।
5. इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(क) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व, कार्य कराने के दौरान प्रत्येक 15 दिनों की अवधि पर एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ख) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(ग) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(घ) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(ड) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(च) वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा जिस योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।

(छ) प्राक्कलन के Vetting के क्रम में रूपांकण संगठन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ज) इन योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(झ) उपरोक्त कंडिका '5' (क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च) (छ) एवं (ज) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

6. इन कार्यो पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष अन्तर्गत भारित हो सकेगा :–

(क) "मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण"

(ख) "मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना––20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–05–निर्माण"

7. इन योजनाओं को वर्ष 2018–19 एंव 2019–20 में पूर्ण किया जाएगा।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा/लातेहार/लघु सिचाई रूपांकण प्रमण्डल, दुमका शिविर–देवघर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

9. योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:–परिशिष्ट–1

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट–1

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट–1

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) ..../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल लातेहार/चतरा/लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0ः–परिशिष्ट–1

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) ..../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/संथाल परगना प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः–परिशिष्ट–1

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) ..../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0ः–परिशिष्ट–1

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड–I) 2318-1 ग्रु. स्वी. **/राँची, दिनांकः** 13.07.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–परिशिष्ट

12/07/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)
12/07/18

परिशिष्ट–1

मुख्यमंत्री जनसंवाद के अंतर्गत प्राप्त आहर/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की सूची :-

क्रम सं0	ल0सिं0 प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	पुर्नजिवित सिंचन क्षमता (हे0)			मुख्यमंत्री जन संवाद सं0	Incidence of Cost (Rs/ Ha)	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	लातेहार	लातेहार	हेसला म0सिं0यो0 का जीर्णोद्धार	चँदवा	248.913	110	30	140	25079/2017	177795	TSP
2	चतरा	चतरा	बड़का आहर का जीर्णोद्धार	लवालौंग	45.466	19	6	25	33818/2018	181864	OSP
3	चतरा	चतरा	तरवनवा आहर का जीर्णोद्धार	हंटरगंज	25.664	14	3	17	32485/2017	150965	OSP
4	चतरा	चतरा	निमियातरी आहर का जीर्णोद्धार	सिमरिया	25.826	14	4	18	29159/2018	143478	OSP
5	लघु सिंचाई रूपांकण प्र0दुमका शिविर–देवघर	देवघर	कुसमाहा सरकारी खास बाँध (बुढ़वा बाँध) का जीर्णोद्धार	देवघर	94.252	55	10	65	29356/2018	145003	OSP
योग					*440.121*	*212*	*53*	*265*			

पत्रांक 23/18-19 प्र.स्वी. दिनांक 13.07.2018

12/07/2018
उप, सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग
12/07/18